न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 96/2017

देवीलाल पुत्र सरदाराराम जाति जाट निवासी राजपुरा पिपेरन तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। —— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू–रा.अ.1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 02.05.2007

उपस्थितिः–

श्री सुरेन्द्र सुथार अभिभाषक अपीलार्थी

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष रोही राजपुरा पिपेरन के ख.नं. 435 की 46 बीघा भूमि का टी.सी. पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र पेश करने पर तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 02.05.2007 को पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश हुई एवं अपीलांट को 40 बीघा भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए 40 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया, शेष 6 बीघा टी.सी. भूमि खारिज कर अधिशेष घोषित कर दी जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र से मुक्त होकर भू–राजस्व अधि. के अन्तर्गत शासित हो गई है। अतः

भू–राजस्व अधि. की धारा 18 परन्तुक अनुसार भूमि टी.सी. मानकर खातेदारी अधिकार दिये जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर, नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट जितनी भूमि आवंटन की पात्रता रखता था उसका आवंटन कर दिया गया। शेष भूमि अधिशेष घोषित कर दी। इस ग्राम के लिए राज. उपनि.अधि. के प्रावधान लागू हो चुके हैं। अतः अपीलांट राज. भू–राजस्व अधि. के तहत यह चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 02.05.2007 के विरूद्ध दिनांक 20.08.2007 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलांट द्वारा अपील में यह अनुतोष चाहा है कि वर्तमान में भू–राजस्व अधि. की धारा 18 परन्तुक अनुसार भूमि टी.सी. की मानकर खातेदारी के आदेश दिये जावे। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि ग्राम राजपुरा पिपेरन की है। राजकीय अधिवक्ता के अनुसार इस ग्राम के लिए राज. उपनि.अधि. के प्रावधान लागू हो चुके हैं। अतः अपीलांट राज. भू–राजस्व अधि. के तहत यह चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। ऐसे आदेश इस न्यायालय द्वारा नहीं दिये जा सकते। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज करते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर जाए बिना

अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि वह इस सम्बन्ध में विहित कानूनी प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष पाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 28/4/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/4/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर